UPUN010035802026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1505 / 2026

उमेश उर्फ उमेश कुमार पाल पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी भिनकी खेड़ा मजरा सरोसा थाना अजगैन जिला उन्नाव

––––––अभियुक्त।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।

––––––विपक्षी।

17.06.2026

अभियुक्त उमेश उर्फ उमेश कुमार द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–180 / 2026, धारा–333,115(2),352,351(3),117(2)109 बी0एन0एस0 थाना–अजगैन, जिला उन्नाव में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा सुनीता सिंह ने थानाध्यक्ष अजगैन को इस आशय की तहरीर दिनांक 24.04.2026 को दी कि वह कल दिनांक 23.04.2026 को समय करीब 11.30 बजे रात अपने घर में थी, तभी पड़ोस के उमेश कुमार ने रंजिशवश उसके घर में घुसकर उसको गाली गलौज करते हुए ईट पत्थर से मारापीटा व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया, जिससे उसको गम्भीर चोटें आयी और मौके पर ही बेहोश हो गयी। रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने कृपा करें।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मे कथन किया गया कि उसको रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशविरा के आधार पर देरी से लिखाई गयी है। उसके परिवार के लोगों ने गॉव के चुनाव में वादिनी मुकदमा के विरोधी का खुल कर समर्थन कर दिया था जिससे वादिनी मुकदमा के पक्ष को काफी कम वोट मिले थे, जिस कारण वादिनी मुकदमा उसके परिवार से दुश्मनी मानने लगी, जिसके कारण उसे झूठा फंसा दिया है।उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र बल न देने के कारण निरस्त कर दिया गया था। उसकी ओर से अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। उक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलबध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर उसको गाली गलौज करते हुए ईट पत्थर से मारापीटा, जिससे उसको गम्भीर चोटें आयी और मौके पर ही बेहोश हो गयी। अभियुक्त जान से मारने की धमकी की। वादिनी/मजरूबा के नाक की हड्डी टूट गयी। अपराध गंभीर प्रकृति का होने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशविरा के आधार पर देरी से लिखाई गयी है। उसके परिवार के लोगों ने गॉव के चुनाव में वादिनी मुकदमा के विरोधी का खुल कर समर्थन कर दिया था, जिससे वादिनी मुकदमा के पक्ष को काफी कम वोट मिले थे, जिस कारण वादिनी मुकदमा उसके परिवार से दुश्मनी मानने लगी, जिसके कारण उसे झूठा फंसा दिया। इंजरी रिपोर्ट के अनुसार वादिनी के शरीर 9 चोटे आयी, जिसमें नाक की चोट में फ्रैक्चर होना अंकित है जिसको डाक्टर ने प्राण घातक नहीं बताया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 02.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त उमेश उर्फ उमेश कुमार द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–180/2026, धारा–333,115(2),352,351(3),117(2)109 बी0एन0एस0 थाना–अजगैन, जिला उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1505/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु0–40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने की स्थिति में, उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–17.06.2026
बृजपाल सिंह

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जेओ यूपी 06552